हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफएफई–ए(बी) 2–6/2014 तारीख शिमला–2, 31-05– 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश वन विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (एम पी डब्ल्यु), वर्ग–IV,(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न् उपाबन्ध– क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियंम बनाते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (एम पी डब्ल्यु),वर्ग–IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।
	2	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

आर0डी0धीमान
प्रधान सचिव(वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या एफएफई–ए(बी) 2–6/2014 दिनांक शिमला–2, 31-05-2016.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित हैः–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव(कार्मिक)/वित्त/प्रधान सचिव(विधि), हि0प्र0 सरकार।
2 संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)हिमाचल प्रदेश सरकार।
3 सचिव हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, निगमविहार शिमला–171002.
4 प्रधान मुख्य अरण्यपाल(वन बल प्रमुख)/वन्य प्राणी/समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
5 प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम, कसुम्पटी, शिमला–9.
6 समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
7 महालेखाकार/उप महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला–3.
8 नियन्त्रक हिमाचल प्रदेश मुद्रणालय शिमला–5.
9 उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) C/o प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हि0प्र0 टालैण्ड शिमला–1.
10 संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त (50) प्रतियां।

31/05/2016

(डी0सी0 राणा),
अतिरिक्त सचिव (वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध– 'क'

हिमाचल प्रदेश वन विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, वर्ग–IV(अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1	पद का नामः	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता
2	पदों की संख्याः	50 (पच्चास)
3	वर्गीकरणः	वर्ग–IV(अराजपत्रित)
4	वेतनमानः (विस्तृत रुप में दिया जाए)	(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्डः 4900–10680/–रुपए + 1300/- रुपए ग्रेड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 6200/– रूपए प्रतिमास।
5	"चयन अथवा अचयन पद":	लागू नही।
6	सीधी भर्ती के लिए आयुः	18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नही होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसें पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थ, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/ स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं, और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1). सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमे कि पद(पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	(क) <u>अनिवार्य अर्हताएं :</u> (i) वह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आठवीं पास होना/होनी चाहिए। (ii) उसके पास गार्डनिंग में एक वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए। **अथवा** उसके पास हाऊसकीपिंग/कुकिंग का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (ख) <u>वांछनीय अर्हता :</u> हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति की उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:	**आयु** : लागू नही। **शैक्षिक अर्हतां :** लागू नही।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगाः	सर्वथा पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर इस पद के समरुप वेतनमान में कार्यरत वर्ग–IV कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा जिनका ग्रेड में दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विघामान हो, तो उसकी संरचनाः	लागू नही।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठयक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

(I) **संकल्पनाः**

(क) इस पॉलिसी के अधीन वन विभाग, हिमाचल प्रदेश में बहुद्देशीय कार्यकर्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना :**

सम्बद्ध वृत्त का अरण्यपाल, सीधी भर्ती के अधीन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदो के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और इन नियमों में विहित अर्हता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां:**

संविदा के आधार पर नियुक्त बहुद्देशीय कार्यकर्ता को 6200/–रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा मे एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/– रुपये (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:**
सम्बद्ध मंडल का वन मण्डल अधिकारी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया:**
संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात वन विभाग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:
संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए वृत्त–वार चयन समिति निम्नलिखित से गठित होगी :–

(i)	अरण्यपाल	....	अध्यक्ष
(ii)	वन मंडल अधिकारी	....	सदस्य
(iii)	वन मंडल अधिकारी/ सहायक अरण्यपाल	....	सदस्य

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/– रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190/– रुपये (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वृद्धि के लिए हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक सूचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य(डयुटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिक्त्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगाः

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0, एस0आर0, छूटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षणः — सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः — लागू नही।

18. शिथिल करने की शक्तिः — जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

+++

उपाबन्ध–'ख'

बहुद्देशीय कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमती..........................पुत्र/पुत्री श्री.................. निवासी............. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"प्रथम पक्षकार"** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"द्वितीय पक्षकार"** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने बहुद्देशीय कार्यकर्ता के रुप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार बहुद्देशीय कार्यकर्ता के रुप में .... से प्रारम्भ होने और..........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रुप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्........ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/–रुपए (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 190/– रुपये(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसा वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, या नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित(समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त बहुद्देशीय कार्यकर्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त बहुद्देशीय कार्यकर्ता को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार को काई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

   परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य(डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य(डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य(डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर 3 (तीन) वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी/जाएंगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हंस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.......................................

....

....

(नाम व पूरा पता)

2.......................................

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.......................................

....

....

(नाम व पूरा पता)

2.......................................

....

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

+++